भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1160
दिनांक 03 दिसम्बर, 2024 / 12 अग्रहायण, 1946 (शक) को उत्तर के लिए

आतंकवादी हमलों में शहीद हुए भारतीय सैनिक

1160. श्री राहुल कस्वां:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षो के दौरान भारत-पाक सीमा पर आंतकवादी हमलों में शहीद हुए भारतीय सैनिक का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इस संबंध में सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;
(ग) आतंकवादी समूहों का पूर्णतः सफाया कब तक होने की संभावना है; और
(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं ?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री नित्यानंद राय)

(क) विगत तीन वर्षों में भारत-पाक सीमा पर आतंकवादी हमलों में भारतीय सैनिकों के हताहत होने का विवरण संलग्न है।

(ख) से (घ) सरकार ने भारत-पाक सीमा सहित आतंकवाद के विरुद्ध शून्य सहनशीलता की नीति अपनाई है तथा सरकार का दृष्टिकोण आतंकवादी पारिस्थितिकी तंत्र को नष्ट करना है। सरकार ने निम्नलिखित कई उपाय किए हैं, जिसके परिणामस्वरूप सीमा पर आतंकवादी गतिविधियों को नियंत्रित करने में सहायता मिली है:

(i) आतंकवाद से संबंधित सभी मामलों पर केंद्र और राज्य स्तर पर आसूचना एवं सुरक्षा एजेंसियों के मध्य घनिष्ठ और प्रभावी समन्वय ।

(ii) मल्टी एजेंसी सेंटर (एमएसी) को सुदृढ़ बनाना तथा इसे 24x7 आधार पर कार्य करने के लिए संगठित करना, ताकि आतंकवाद से संबंधित सभी मामलों पर अन्य आसूचना एजेंसियों तथा राज्यों के साथ गुप्त जानकारी का वास्तविक समय पर मिलान और आदान-प्रदान किया जा सके तथा राज्य एवं केंद्रीय एजेंसियों के मध्य सूचना का निर्बाध प्रवाह सुनिश्चित किया जा सके।

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1160, दिनांक 03.12.2024

(iii) आतंकवादी घटनाओं से निपटने के लिए राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा विशेष बलों का गठन । ऐसी घटनाओं से निपटने में राज्यों की सहायता के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड को भी विभिन्न स्थानों पर तैनात किया गया है ।

(iv) आतंकवाद से संबंधित मामलों की जांच के लिए राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) की स्थापना की गई है ।

(v) केंद्रीय एजेंसियों ने गुप्त जानकारी साझा करने और आतंकी मामलों की जांच के संबंध में राज्य बलों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए हैं ।

(vi) सीमाओं की सुरक्षा करने वाले बलों का बहुआयामी दृष्टिकोण है कि वे चौबीसों घंटे सीमाओं पर नियंत्रण सुनिश्चित करके, नियमित गश्त करके, सुरंग खोदने के विरुद्ध अभ्यास करके, नाके लगाकर तथा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर निगरानी चौकियों पर तैनाती करके आतंकवादी घुसपैठ को रोकें ।

(vii) अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सीमा बाड़ के रूप में भौतिक अवसंरचना का निर्माण और रखरखाव किया गया है तथा अंधेरे के समय क्षेत्र को प्रकाशित करने के लिए सीमा पर फ्लड लाइट लगाई गई हैं ।

(viii) संवेदनशील सीमा चौकियों की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है एवं अतिरिक्त मानव संसाधन, विशेष निगरानी उपकरण और अन्य बल गुणकों को तैनात करके उन्हें मजबूत बनाया जाता है ।

(ix) संवेदनशील सीमा क्षेत्रों में व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली (CIBMS) के रूप में एक तकनीकी समाधान लागू किया गया है ।

(x) सीमाओं की सुरक्षा करने वाले बलों को सख्त सतर्कता एवं निगरानी बनाए रखने तथा घुसपैठ को रोकने के लिए हर संभव कदम उठाने की परामर्शी दी गई है ।

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1160, दिनांक 03.12.2024

<u>अनुलग्नक</u>

हताहत भारतीय सैनिकों की संख्या:

क्रम/सं.	**वर्ष**	**संख्या**
1.	2021	04 (एलओसी पर)
2.	2022	01 (एलओसी पर)
3.	2023	00

(स्रोत: जम्मू एवं कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश)

*****